उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

विद्या परिषद की ग्यारहवीं बैठक
(कार्यवृत्त)
दिनांक 21.08.2026

Scanned with OKEN Scanner

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद (Academic Council) की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 को माननीय कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष विद्या परिषद के सभापतित्व में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित ने प्रतिभाग किया:–

1. **डॉ0 अजय सिंह, कुलपति, यूपीयूएमएस, सैफई।**	**अध्यक्ष**
2. डॉ0 सूर्यकांत, प्रोफेसर रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।	सदस्य
3. डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य एवं संयोजक
4. प्रो0 बिजी बिजू, संकायाध्यक्ष नर्सिंग संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
5. डॉ0 जे0 पी0 मथूरिया, संकायाध्यक्ष, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख विज्ञान संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
6. डॉ0 प्रवीण कुमार, संकायाध्यक्ष–फार्मेसी संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
7. डॉ0 अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष–दन्त विज्ञान संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
8. डॉ0 कीर्ति जैसवाल, प्रोफेसर एवं संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
9. डॉ0 रमाकान्त यादव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, न्यूरोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
10. डॉ0 अमित सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष सी0वी0टी0एस0 विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
11. डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
12. डॉ0 एस0पी0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
13. डॉ0 मनोज कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, मेडिसिन विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
14. डॉ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ई0एन0टी0, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
15. डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
16. डॉ0 पी0 के0 जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	
17. डॉ0 सुभाष चन्द्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
18. डॉ0 राजेश कुमार ठाकुर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पेरियोडोंटोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
19. डॉ0 सीमा दयाल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई	सदस्य
20. डॉ0 कैलाश मित्तल, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रेडियेशन ऑन्कोलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई	सदस्य
21. डॉ0 दिनेश कुमार, प्रोफेसर, एवं विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक्स विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
22. डॉ0 अमित कांत सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फिजियोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई। **(ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)**	सदस्य
23. डा0 सन्दीप कुमार, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
24. डा0 चन्द्रवीर सिंह, प्रोफेसर, फार्माकोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
25. डा0 विद्या रानी प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
26. डा0 विपिन कुमार यादव, प्रोफेसर, पेरियोडोन्टोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
27. डॉ0 ग्रन्थ कुमार, प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
28. डा0 सैम्बियन एन0, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकेल्टी आफ नर्सिंग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
29. डॉ0 सुगन्धी शर्मा, असस्टिेन्ट प्रोफेसर, इन्चार्ज केन्द्रीय पुस्तकालय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
30. डॉ0 श्वेता एस0 कुमार, प्रोफेसर जू0ग्रेड एवं विभागाध्यक्ष, डर्मेटोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
31. डॉ0 रीना शर्मा, प्रोफेसर एवं कार्यवाहक सह–संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
32. डॉ0 नित्यानन्द श्रीवास्तव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनॉटमी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
33. डॉ0 एम0 ए0 खान, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
34. डॉ0 अतुल सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
35. डॉ0 रवि रंजन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, नेत्र विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

36. डॉ0 सुनील कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आर्थोपेडिक्स विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई	सदस्य
37. डॉ0 आदिल रहमान, प्रोफेसर जू0 ग्रेड एवं विभागाध्यक्ष, बायोकेमिस्ट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
38. डॉ0 राफे अब्दुल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
39. डॉ0 सुशील कुमार शुक्ला, प्रोफेसर, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
40. डॉ0 अमित कुमार सिंह, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, एनेस्थीसिया विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
41. डॉ0 अनुज जैन, प्रोफेसर, एनॉटमी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
42. डॉ0 डी0पी0 सिंह, प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
43. डॉ0 राहुल मिश्रा, प्रोफेसर, दन्त विज्ञान संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
44. डॉ0 विपिन गुप्ता, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
45. डॉ0 अमित सिंह, प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
46. डॉ0 सोमेन्द्र पाल सिंह, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
47. डॉ0 उर्वशी यादव, प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
48. डॉ0 आशा पाठक, प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
49. डॉ0 सविता अग्रवाल, प्रोफेसर, पैथेलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
50. डॉ0 विनय कनौजिया, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष पी0एम0आर0 विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
51. डॉ0 अविनाश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, फोरेंसिक मेडिसिन विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
52. डॉ0 वैभव कान्ती, प्रोफेसर, आब्स एण्ड गायनी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
53. डॉ0 ज्योति कला भारती, असिस्टेंट प्रोफेसर, ट्रांस्फ्यूजन मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
54. डॉ0 कन्हैया लाल चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गैस्ट्रो इन्ट्रोलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
55. डॉ0 गौरीशंकर पुट्टोरी, विभागाध्यक्ष, फिजियोथेरेपी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
56. श्री मयंक कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोऑर्डिनेटर फिजियोथेरेपी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
57. डॉ0 वेदान्त कुलश्रेष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर, फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई। **(ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)**	सदस्य
58. डॉ0 हिमान्शु प्रिंस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, एनेस्थीसिया विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई। **(ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)**	सदस्य
59. डॉ0 सजग कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, न्यूरोसर्जरी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई। **(ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)**	सदस्य
60. डॉ0 अनामिका सिंह, प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग, यूपीयूएमएस, सैफई। **(ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)**	सदस्य

इस प्रकार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 21.08.2026 में उपरोक्त 60 सदस्यों द्वारा ऑफलाईन एवं ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया (उपस्थिति पत्रक संलग्न)। गणपूर्ति होने पर सर्वप्रथम माननीय कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–विद्या परिषद द्वारा विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त संयोजक–विद्या परिषद/संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अध्यक्ष–विद्या परिषद की अनुमति से विद्या परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किये गये।

बैठक में प्रस्तावों पर विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा, प्रस्ताव एवं निर्णय
11–(1)	**विद्या परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 16.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि** **प्रस्ताव** –उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की दसवीं बैठक 16.06.2026 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।
निर्णयः–	विद्या परिषद की दसवीं बैठक के कार्यवृत्त पर सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

11–(2)	**विद्या परिषद की दसवीं बैठक दिनांक 16.06.2026 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** **प्रस्तावः–** कृपया विद्या परिषद उपरोक्त अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।
निर्णयः–	विद्या परिषद की दसवीं बैठक के निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई तथा एजेण्डा की अनुपालन आख्या के विषय में निम्नलिखित निर्देश दिये गयेः– • **एजेण्डा बिन्दु 9–(4.2) विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय, नर्सिंग संकाय, सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख विज्ञान संकाय, फॉर्मेसी संकाय एवं दंत संकाय की परास्नातक एवं स्नातक पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनलाईन मूल्यांकन कराने के लिए साफ्टवेयर की आवश्यकता एवं अंकपत्र को आवश्यक स्पेशिफिकेशन के अनुसार होने तथा डिग्री (उपाधि) एवं अंकपत्र की Design, Printing and Paper के लिए फर्म की आवश्यकता के सम्बन्ध में** विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को ऑनलाईन मूल्यांकन कराने के लिए साफ्टवेयर की आवश्यकता एवं अंकपत्र को आवश्यक स्पेशिफिकेशन के अनुसार होने तथा डिग्री (उपाधि) एवं अंकपत्र की Design, Printing and Paper के लिए फर्म की आवश्यकता पर अलग–अलग कार्य करने तथा 10 दिवसों में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया तथा उक्त कार्य में विलम्ब होने के संबंध में नाराजगी व्यक्त की गई। • **एजेण्डा बिन्दु 10–(5) शैक्षणिक सत्र 2026–27 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (G.N.M.) पाठ्यक्रम की 60 सीटों, डिप्लोमा इन ऑक्ज़ीलरी नर्स मिडवाइफरी (A.N.M.) पाठ्यक्रम की 50 सीटों एवं बैचलर ऑफ फॉर्मेसी (B.Pharm) पाठ्यक्रम की 60 सीटों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश क्रमशः अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, महानिदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ एवं डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में** डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी (GNM) पाठ्यक्रम की 60 सीटों को अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में शामिल कर लिया गया है बैचलर ऑफ फार्मेसी (B. Pharm) पाठ्यक्रम की 60 सीटों को डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ में शामिल कर लिया गया है। डिप्लोमा इन ऑक्जीलरी नर्स मिडवाइफरी (ANM) पाठ्यक्रम की 50 सीटों पर महानिदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण लखनऊ से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः विश्वविद्यालय स्तर से विज्ञापन के द्वारा ANM शैक्षणिक सत्र 2026–27 हेतु हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट के औसत अंकों के योग की मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया की जानी है। जिसमें आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से रू0 200/– तथा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से रू0 100/– लिया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों से पाठ्यक्रम फीस रू0 29800/– (हॉस्टल में रहने वालों से) तथा रू0 25000/–(डे–स्कालर/हॉस्टल में न रहने वालों से) प्रशिक्षण शुल्क के रूप में प्रथम वर्ष लिया जायेगा। उक्त हेतु माननीय कार्यपरिषद से अनुमोदन अपेक्षित है।
11–(3.1)	**फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग से सम्बन्धित यू0जी0 पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों के संशोधित पैनल के अनुमोदन के संबंध में।** **प्रस्तावनाः–** फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉस्किोलॉजी विभाग में यू0जी0 पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं की परीक्षाओं के आयोजन हेतु वाहय एवं आन्तरिक परीक्षकों का संशोधित पैनल एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप तैयार कर अनुमोदन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **पृष्ठभूमिः–** फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉस्किोलॉजी विभाग में यू0जी0 पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में पूर्व से अनुमोदित वाहय परीक्षकों की अनुपलब्धता के कारण बाहय परीक्षकों के पैनल को संशोधित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत बाहय एवं आन्तरिक परीक्षकों का नवीन पैनल विभागाध्यक्ष के स्तर से एन0एम0सी0 की गाईडलाइन्स के अनुसार तैयार किया गया है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग के द्वारा बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक कराते हुए यू0जी0 पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु बाह्य एवं आन्तरिक

Scanned with OKEN Scanner

	परीक्षकों का संशोधित पैनल उपलब्ध कराया गया है। **<u>प्रस्ताव का आधार</u>**:– फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग हेतु यू0जी0 पाठ्यक्रम की परीक्षाओं हेतु पूर्व में अनुमोदित वाह्य परीक्षकों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत बाह्य परीक्षकों के पैनल को संशोधित करने की आवश्यकता है। **<u>प्रस्ताव</u>**:– फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग के यू0जी0 पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं की परीक्षाओं के सुचारू एवं नियमानुसार आयोजन हेतु बाह्य परीक्षकों एवं आन्तरिक परीक्षकों के संशोधित पैनल का विद्यापरिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। **<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन</u>**:– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः–	उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के सभी 05 संकायों (चिकित्सा संकाय, एलाईड एण्ड हेल्थ केयर साइंसेस, फार्मेसी संकाय, दन्त संकाय एवं नर्सिंग संकाय) के समस्त विभागाध्यक्ष अपने संकायाध्यक्ष के माध्यम से यू0जी0 एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं की परीक्षाओं के आयोजन हेतु वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों का पैनल एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप तैयार करते हुए, एजेण्डा आगामी विद्यापरिषद से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेंगे। परीक्षकों के पैनल में परीक्षकों का चुनाव करते समय प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर के सरकारी संस्थानों को वरीयता दी जाये, एक संस्थान से 02 से अधिक परीक्षकों को न रखा जाये तथा अपरिहार्य स्थिति में निजी संस्थानों से परीक्षकों का चुनाव किया जा सकता है। उक्त परीक्षकों के Panel हेतु 2 वर्ष के लिए विद्या परिषद से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।
11–(3.2)	**राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा जारी पत्र संख्या M-19011/17/2022-PGMARB (COMP-8198693), दिनांक 10.04.2026 तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के निर्देशों के क्रम में ऐसे विभागों/इकाइयों में प्राप्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षण/शिक्षण अनुभव की गणना आन्तरिक पदोन्नति (Internal Promotion) किए जाने के संबंध में, जिन्हें स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संचालित करने हेतु NMC से मान्यता नहीं है।** **<u>प्रस्तावना</u>**:–राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) द्वारा जारी पत्र संख्या N&19011/17/2022&PGMARB (COMP-8198693), दिनांक 10.04.2026 तथा स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड के निर्देशों के अनुसार ऐसे विभागों/इकाइयों में प्राप्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षण अथवा शिक्षण अनुभव को मान्य नहीं किया जाएगा, जिन्हें स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संचालित करने हेतु NMC से मान्यता अथवा अनुमति प्राप्त नहीं है। एन0एम0सी0 द्वारा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण अथवा शिक्षण अनुभव मान्य के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय के कतिपय सुपर–स्पेशियलिटी विभागों में वर्तमान में शिक्षण कार्य प्रचलित है। उक्त विभागों में कार्यरत शिक्षक विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर (MD/MS/DNB) एवं स्नातक (UG) अभ्यर्थियों के शिक्षण कार्य में भी सक्रिय रूप से योगदान प्रदान करते हैं। ऐसे शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से किए जा रहे शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य को दृष्टिगत रखते हुए, उनकी आन्तरिक पदोन्नति (Internal Promotion) हेतु आवश्यक शिक्षण अनुभव की गणना के संबंध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाना है। **<u>पृष्ठभूमि</u>**:– विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न सुपर–स्पेशियलिटी विभागों/इकाइयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा लंबे समय से PG (MD/MS/DNB) तथा UG पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के शिक्षण, क्लिनिकल प्रशिक्षण, केस डिस्कशन, सेमिनार, जर्नल क्लब, प्रैक्टिकल/क्लिनिकल प्रदर्शन तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों में सहयोग प्रदान किया जाता है। उक्त शिक्षकों का कार्य केवल रोगी उपचार तक सीमित न होकर संस्थान की नियमित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण गतिविधियों से भी प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है। इस संबंध में यह भी विचारणीय है कि यदि किसी शिक्षक द्वारा वास्तविक रूप से एवं नियमित रूप से स्नातकोत्तर/स्नातक विद्यार्थियों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, तो उस शिक्षण कार्य की प्रकृति, अवधि एवं प्रमाणिकता को अभिलेखों के आधार पर, अनुभव की गणना कर आन्तरिक पदोन्नति (Internal Promotion) किये जाने के संबंध निर्णय अपेक्षित है। **<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन</u>**:– उपरोक्त प्रस्ताव में उल्लिखित तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, विश्वविद्यालय के Broad Specialty/ Superspecialty विभागों के PG (MD/MS/DNB) एवं

	UG पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थियों के शिक्षण कार्य में किए जा रहे शिक्षण/प्रशिक्षण कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए शिक्षण अनुभव को मान्य करते हुए उसके आधार पर आन्तरिक पदोन्नति (Internal Promotion) के प्रयोजनार्थ अनुभव के रूप में गणना किए जाने संबंधी मान्यता हेतु विद्यापरिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
निर्णयः–	उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया क्योंकि ये शिक्षक UG teaching/PG teaching/Thesis के co-guide और Integrated teaching में योगदान प्रदान करते हैं। Broad Specialities Department के PG's की Superspeciality Department में posting लगाई जाये।
11–(3.3)	**मेडिसिन विभाग में स्नातकोत्तर (PG) सीटों के आवंटन एवं NMC निरीक्षण के दृष्टिगत कार्डियोलॉजी विभाग की फैकल्टी को मेडिसिन विभाग के अंतर्गत दर्शाए जाने के अनुमोदन के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः–** मेडिसिन विभाग में स्नातकोत्तर (PG) प्रशिक्षण हेतु मेडिसिन विभाग के पी0जी0 रेजिडेंट्स की पोस्टिंग कार्डियोलॉजी विभाग में भी की जाती है। अतः पी0जी0 प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं एन0एम0सी0 निरीक्षण के दृष्टिगत कार्डियोलॉजी विभाग में कार्यरत संबंधित फैकल्टी की सेवाओं को मेडिसिन विभाग के पी0जी0 प्रशिक्षण हेतु प्रदर्शित किया जाना प्रस्तावित है। **पृष्ठभूमिः–** मेडिसिन विभाग के पी0जी0 रेजिडेंट्स का प्रशिक्षण कार्डियोलॉजी सहित विभिन्न सम्बद्ध क्लीनिकल इकाइयों में किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग की फैकल्टी द्वारा मेडिसिन विभाग के पी0जी0 रेजिडेंट्स के प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों में योगदान दिया जाता है। अतः मेडिसिन विभाग की पी0जी0 प्रशिक्षण क्षमता एवं फैकल्टी की उपलब्धता को एन0एम0सी0 निरीक्षण के समय उचित रूप से प्रदर्शित करने हेतु सम्बन्धित कार्डियोलॉजी फैकल्टी को मेडिसिन विभाग के अंतर्गत दर्शाया जाना आवश्यक है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** एन0एम0सी0 द्वारा निर्धारित मानकों एवं पी0जी0 सीटों के आवंटन हेतु आवश्यक फैकल्टी एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, मेडिसिन विभाग के पी0जी0 रेजिडेन्ट्स की कार्डियोलॉजी विभाग में की जा रही पोस्टिंग एवं वहाँ उपलब्ध फैकल्टी के शैक्षणिक योगदान को मेडिसिन विभाग के पी0जी0 प्रशिक्षण हेतु प्रदर्शित किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्तावः–** कार्डियोलॉजी विभाग में कार्यरत सम्बन्धित फैकल्टी को एन0एम0सी0 निरीक्षण एवं मेडिसिन विभाग में पी0जी0 सीटों के आवंटन के उद्देश्य से मेडिसिन विभाग के अंतर्गत प्रदर्शित किए जाने हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः–	उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।
11–(3.4)	**जनरल मेडिसिन विभाग से सम्बन्धित यू0जी0 पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु वाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों के संशोधित पैनल के अनुमोदन के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः–** जनरल मेडिसिन विभाग में यू0जी0 पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं की परीक्षाओं के आयोजन हेतु वाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों का संशोधित पैनल एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप तैयार कर अनुमोदन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **पृष्ठभूमिः–** जनरल मेडिसिन विभाग में यू0जी0 पाठ्यक्रम की परीक्षाओं में पूर्व से अनुमोदित वाह्य परीक्षकों की अनुपलब्धता के कारण वाह्य परीक्षकों के पैनल को संशोधित करने की आवश्यकता के दृष्टिगत वाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों का नवीन पैनल विभागाध्यक्ष के स्तर से एन0एम0सी0 की गाईडलाइन्स के अनुसार तैयार किया गया है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** जनरल मेडिसिन विभाग के द्वारा बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक कराते हुए यू0जी0 पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को सम्पन्न कराने हेतु वाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों का संशोधित पैनल उपलब्ध कराया गया है। **प्रस्ताव का आधारः–** जनरल मेडिसिन विभाग हेतु यू0जी0 पाठ्यक्रम की परीक्षाओं हेतु पूर्व में अनुमोदित वाह्य परीक्षकों की अनुपलब्धता के दृष्टिगत वाह्य परीक्षकों के पैनल को संशोधित करने की आवश्यकता है। **प्रस्तावः–** जनरल मेडिसिन विभाग के यू0जी0 पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं की परीक्षाओं के

Scanned with OKEN Scanner

	सुचारू एवं नियमानुसार आयोजन हेतु वाह्य परीक्षकों एवं आंतरिक परीक्षकों के संशोधित पैनल का विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः–	**उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
11–(3.5)	**फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0डी0) प्रारम्भ करने हेतु एन0एम0सी0 की आवश्यकता के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रोफेसर को विभाग में प्रतिनियुक्त करने के संबंध में।** **प्रस्तावनाः**–फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0डी0) को प्रारम्भ करने हेतु एन0एम0सी0 के मानको के अनुरूप आवश्यकता के अनुसार एक प्रोफेसर विभाग में प्रतिनियुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से अनुमोदन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **पृष्ठभूमिः**–फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0डी0) को प्रारम्भ करने हेतु कम से कम एक प्रोफेसर एन0एम0सी0 के मानको के अनुरूप आवश्यक है। विभाग के दो प्रोफेसर (डॉ0 आलोक कुमार एवं डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह) पूर्व में ही प्रतिनियुक्ति (डी0जी0एम0ई0, लखनऊ तथा राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज क्रमशः) में हैं। विभाग में वर्तमान में एक एसोसिएट प्रोफेसर (डॉ0 वेदांत कुलश्रेष्ठ) तथा दो असिस्टेंट प्रोफेसर (डॉ0 अविनाश कुमार एवं डॉ0 अमरेन्द्र कुमार) कार्यरत हैं। अतः एक प्रोफेसर विभाग में प्रतिनियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से एक लिखित पत्र लिखने की आवश्यकता है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः**–फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0डी0) को प्रारम्भ करने हेतु कम से कम एक प्रोफेसर एन0एम0सी0 के मानको के अनुरूप उपलब्ध रहने की आवश्यकता है। **प्रस्ताव का आधारः**–फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0डी0) को प्रारम्भ करने हेतु कम से कम एक प्रोफेसर एन0एम0सी0 के मानको के अनुरूप उपलब्ध रहने की आवश्यकता है। **प्रस्तावः**–फोरेन्सिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग में पी0जी0 पाठ्यक्रम (एम0डी0) को प्रारम्भ करने हेतु कम से कम एक प्रोफेसर एन0एम0सी0 के मानको के अनुरूप आवश्यक है। विभाग के दो प्रोफेसर पूर्व में ही प्रतिनियुक्ति पर हैं। अतः एक प्रोफेसर विभाग में प्रतिनियुक्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखने हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः**–उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः–	**उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा असहमति व्यक्त की गई तथा विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर अन्य संस्थानों में कार्यरत संकाय सदस्यों को वहॉ से कार्यमुक्त कर विश्वविद्यालय के संबंधित विभाग में सेवायें प्रदान करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित करने तथा विभाग में डी0एन0बी0 की सीट लाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।**
11–(3.6)	**विश्वविद्यालय में संचालित 05 संकाय– चिकित्सा संकाय, डेन्टल संकाय, फार्मेसी संकाय, नर्सिंग संकाय एवं एलाइड एण्ड हेल्थकेयर साइन्सेस के काउंन्सिल एन0एम0सी0, डी0सी0आई0, पी0सी0आई0, आई0एन0सी0, यू0जी0सी0 द्वारा समय–समय पर जारी सभी गाइडलाइंस/संशोधन को सम्बन्धित संकायों द्वारा अपनाए (Adopt) जाने एवं उसकी सूचना संबंधित संकाय द्वारा एकेडमिक काउंसिल को प्रेषित किये जाने के संबंध में।** **प्रस्तावनाः–** विश्वविद्यालय में वर्तमान में पॉच संकाय संचालित हैं। विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय, डेन्टल संकाय, फार्मेसी संकाय, नर्सिंग संकाय एवं एलाइड एण्ड हेल्थकेयर साइन्सेस संकाय 05 संकाय के काउंन्सिल एन0एम0सी0, एन0डी0सी0, पी0सी0आई0, आई0एन0सी0, यू0जी0सी0 द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस/संशोधन को प्रत्येक संकाय सदस्य अपनाएगी (Adopt) करेगी जिसकी सूचना एकेडमिक काउंसिल को प्रेषित करेगी जो निम्नवत् हैः– 1. चिकित्सा संकाय– एन0एम0सी0 2. दन्त संकाय – एन0डी0सी0 3. फार्मेसी संकाय – पी0सी0आई0/यू0जी0सी0

	4. नर्सिंग संकाय – आई0एन0सी0 5. एलाइड एण्ड हेल्थकेयर साइन्सेस संकाय–नेशनल कमिशन फॉर एलाइड एण्ड हेल्थकेयर प्रोफेशन **प्रस्तावः–** विश्वविद्यालय के 05 संकायों को उनके काउंसिल द्वारा अपनाया (Adopt) जायेगा और उसकी सूचना सम्बन्धित संकाय द्वारा जारी सभी गाईडलाइन्स/संशोधन व दिशानिर्देश एकेडमिक काउंसिल को प्रेषित की जायेगी। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः–	**उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
11–(3.7)	**Activation and Operationalisation of the Department of Emergency Medicine and Development of Postgraduate (MD/DNB) Training**

1.	**BACKGROUND**	The Department of Emergency Medicine, UPUMS, Saifai, has sanctioned faculty and academic positions as per the *Manakikaran / Sanctioned Faculty Position Letter*, File No. 71-4099/1051/2022-I/280291/2023 dated 24.02.2023, Page 3, Serial No. 8 (Annexure-I).
2.	**CURRENT POST STATUS**	Professor – 01 – Vacant Associate Professor – 01 – Vacant Assistant Professor – 05 – Vacant
3.	**RATIONALE FOR ACTIVATION**	Activation of the Department through early filling of sanctioned posts is essential for operationalisation of Emergency Medicine services, strengthening emergency care, development of clinical workload, teaching and academic activities, and fulfilment of applicable regulatory requirements for future postgraduate training.
4.	**RECRUITMENT PROPOSAL**	It is proposed to fill the sanctioned vacant positions on priority through Direct/Contractual/other permissible modes, wherever admissible under University rules, to ensure early activation and operationalisation of the Department as per NMC.
5.	**POSTGRADUATE DEVELOPMENT**	Following activation of the Department and development of adequate faculty strength, clinical workload and infrastructure, the University shall initiate the prescribed regulatory process with the competent authorities, including NMC/NBEMS, as applicable, for development of MD/DNB/Diploma postgraduate training programmes in Emergency Medicine.
6.	**MATTER FOR CONSIDERATION**	The Academic Council is requested to consider and recommend/approve activation of the Department through filling of its sanctioned vacant posts through permissible modes, and authorise initiation of subsequent academic and regulatory steps towards development of MD/DNB/Diploma postgraduate training in Emergency Medicine, subject to applicable norms and approval of the competent authorities.

Approval Requested:- The Academic Council may kindly approve.

निर्णयः–	**उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।**
11–(4)	**SOP for Moderation of Examination Question Papers of all 5 faculty of UPUMS to Minimize Duplication and Ensure Quality for approval.** **प्रस्तावनाः–** विद्या परिषद की आठवीं बैठक दिनांक 05.12.2025 के एजेण्डा बिन्दु 8–(4) पर विद्या परिषद की 10वीं बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में कार्यालय के आदेश सं0

Scanned with OKEN Scanner

123/यूपीयूएमएस/संकायाध्यक्ष (चि0सं0)–(124)/2026–27 दिनांक 20.05.2026 एस0ओ0पी0 तैयार करने हेतु समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा उक्त एस0ओ0पी0 तैयार कर ली गई है जो निम्नवत् है –

Standard Operating Procedure (SOP) for Moderation of Examination Question Papers to Minimize Duplication and Ensure Quality

1. **Moderator:** A moderator will be **head of the department** or in his absence, the next seniormost faculty member.
2. **Purpose:**To ensure that all examination question papers are fair, valid, reliable, and free from duplication, while maintaining alignment with the prescribed syllabus and learning outcomes.
3. **Scope:**This SOP applies to moderation of question papers of all the courses of all faculties of this University involved in undergraduate and postgraduate examinations of all the courses of all faculties.
4. **Responsibilities of Moderator:**A Moderator shall -

- Verify course name, course code, paper code, and academic session.
- Ensure confidential handling of question papers (sealed envelope protocol).
- Sign in the moderation register and required documentation.
- Maintain integrity and confidentiality throughout the process.

5. **Core Moderation Guidelines:**

5.1 Syllabus Coverage:

- Ensure that questions are evenly distributed across the entire syllabus.
- Avoid overemphasis on a few topics.
- Refer to latest syllabus and previous question papers (The Moderator should bring the latest syllabus along with him/her).

5.2 Duplication & Repetition:

- Ensure no repetition of question/questions within the same paper.
- Avoid repetition of question from recent examinations unless academically justified.
- Ensure no identical question across papers in the same academic year.

5.3 Question Quality & Clarity:

- Language should be clear, precise, and understandable.
- Avoid ambiguity, vague wording, or multiple interpretations.
- Ensure the paper is attemptable within the allotted time.

5.4 Learning Outcomes Alignment:

- Questions must reflect desired learning outcome at:
  - Course level
  - Individual question level

5.5 Marks Distribution:

- Ensure that total marks match university regulation.
- Verify that marks distribution aligned with the approved examination scheme.
- Ensure proper weightage across sections.

5.6 Pattern Compliance:

- Follow the approved examination pattern strictly.
- Maintain correct number of questions in each section.

5.7 Scientific & Technical Accuracy:

- Verify correctness of:
  - Scientific terms (no abbreviation shall be used in the paper; only standard and universally accepted terms may be used)
  - Formulas and numerical data
  - Clinical relevance (for medical subjects)

5.8 Formatting & Presentation:

- Maintain uniform formatting:
  - Question numbering
  - Section headings
  - Marks indication
  - Spacing and alignment
- Ensure no spelling or grammatical errors.

6. Administrative & Procedural Rules:

- Moderation must be conducted only on scheduled date. If no one turns up on selected dates then it will be assumed that moderation not required, and for any issues afterwards, the Head of the concerned department will be solely responsible.
- Process will be conducted under CCTV surveillance.
- Mobile phones and electronic gadgets are strictly prohibited.
- Any modification must be recorded with valid justification in the official register.
- Moderated papers must be resealed properly after review.

7. Rejection & Revision Policy:

If a question paper is significantly flawed and requires a fresh set of paper, the matter should be brought to the knowledge of Controller of Examination and a new set of paper should be formed by moderator after giving appropriate reason. Examination Department will not provide a New paper under any circumstance for Moderation.

8. Documentation :- Moderator must -

- Sign the final moderated question paper
- Sign and mention the reason for change in question (if any) in the moderation register available in exam department

9. Additional Quality Enhancement:

- Include difficulty level balance (Easy / Moderate / Difficult).
- Ensure inclusion of:
  - Clinical/problem-based questions
  - Higher-order thinking questions (Bloom's taxonomy wherever applicable)
- Maintain standardization across department.

10. Compliance:- All question papers must comply with -

- University regulation
- Concerned council guidelines (e.g., NMC, INC, NDC, PCI etc.)

<u>प्रस्तावः</u>– संकायाध्यक्ष समिति एवं रिव्यू समिति के अनुमोदन के उपरान्त विद्या परिषद द्वारा उक्त तैयार एस0ओ0पी0 पर अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

<u>प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः</u>– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।

निर्णयः– **विद्या परिषद द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एस0ओ0पी0 कमेटी द्वारा एस0ओ0पी0 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त एस0ओ0पी0 जारी करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।**

11–(5.1) **सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख विज्ञान संकाय के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षक पैनल की सूची के अनुमोदन के सम्बन्ध में।**

<u>प्रस्तावना</u>:– अवगत कराना है कि सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देख–रेख विज्ञान संकाय के अन्तर्गत सत्र 2026–27 से NCAHP पाठ्यक्रमों के आधार पर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी/Bachelor of Physiotherapy (BPT), बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री/Bachelor of Optometry (BOptom), बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी/Bachelor in Medical Radiology and Imaging Technology (BMRIT) एवं बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Bachelor of Medical Laboratory Science (BMLS) तथा मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी/ Master of Physiotherapy in Musculoskeletal science, Master of Physiotherapy in Neuroscience,

Scanned with OKEN Scanner

	मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री/Master of Optometry (MOptom), मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Master of Medical Laboratory Science (MMLS) (Medical Microbiology), मास्टर इन मेडिकल रेडियोलॉजी एण्ड इमेजिंग टेक्नोलॉजी/Master in Medical Radiology and Imaging Technology (MMRIT) पाठ्यक्रम संचालित किये जायेंगे साथही Old Curriculum के आधार पर संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों, जिसके लिए परीक्षकों का पैनल निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। **पृष्ठभूमिः** स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षक पैनल में से कुछ परीक्षकों का परिवर्तन आवश्यक है, क्योंकि कुछ परीक्षक परीक्षा कार्य हेतु आने में रुचि नहीं रखते हैं अथवा कुछ का स्थानान्तरण हो गया है तथा आवश्यकता को देखते हुए परीक्षकों का नवीन पैनल बनाने की आवश्यकता है। साथ ही सत्र 2026–27 से पूर्व में संचालित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों के स्थान पर एन0सी0ए0एच0पी0 द्वारा निर्धारित स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षकों का पैनल तैयार कर लिया गया है, उक्त पैनल पर अनुमोदन प्राप्त किए जाने की आवश्यकता है। **नियम/कृत कार्यवाही/निर्णयः–** सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से प्राप्त परीक्षकों के पैनल का बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। **प्रस्तावः–** सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से प्राप्त परीक्षकों के पैनल बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदन हेतु संलग्न है, जिसका विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः–	**उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा असहमति व्यक्त की गई तथा निर्देशित किया गया कि परीक्षकों के पैनल में परीक्षकों का चुनाव करते समय प्रदेश एवं प्रदेश से बाहर के सरकारी संस्थानों को वरीयता दी जाये, एक संस्थान से 02 से अधिक परीक्षकों को न रखा जाये तथा अपरिहार्य स्थिति में निजी संस्थानों से परीक्षकों का चुनाव किया जा सकता है तथा सभी विभागों के परीक्षकों के Panel के लिए आगामी विद्या परिषद से 2 वर्ष के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।**
11–(5.2)	**NCAHP guidelines के अनुसार मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Master of Medical Laboratory Science (MMLS) पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में इलेक्टिव कोर्स के निर्धारण के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः–** अवगत कराना है कि एनसीएएचपी द्वारा लागू किये गये मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Master of Medical Laboratory Science (MMLS) पाठ्यक्रम में प्रथम सेमेस्टर में एक इलेक्टिव कोर्स का प्रावधान किया गया है, इस सम्बन्ध में उल्लेखित है कि इलेक्टिव कोर्स का निर्धारण सम्बन्धित संस्थान द्वारा किया जायेगा। उक्त कोर्स के अन्तर्गत Lecture-0, Tutorial-0, Practical-2, Credits-2 and Contact Hours-60 निर्धारित हैं। उक्त प्रावधान एवं पाठ्यक्रम की शैक्षणिक आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए प्रथम सेमेस्टर में इलेक्टिव कोर्स के रूप में "Clinical Microbiology Laboratory Skills Training" निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव है। **पृष्ठभूमिः** उक्त पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित इलेक्टिव कोर्स के अन्तर्गत Lecture-0, Tutorial-0, Practical-2, Credits-2 तथा Contact Hours-60 निर्धारित है, विद्यार्थियों को Clinical Microbiology Laboratory में व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल प्रदना करने तथा उनके व्याससायिक दक्षता विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "Clinical Microbiology Laboratory Skills Training" निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है। उक्त इलेक्टिव कोर्स में End Semester Examination में छात्र का Assesment वाहय परीक्षक के समक्ष प्रस्तुतीकरण एवं Viva द्वारा किया जायेगा **नियम/कृत कार्यवाही/निर्णयः–** इस सम्बन्ध में उक्त इलेक्टिव कोर्स का विस्तृत मॉड्यूल तैयार कर बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। **प्रस्तावः–** एनसीएचपी के दिशा–निर्देश में उक्त इलेक्टिव कोर्स "Clinical Microbiology Laboratory Skills Training" के रूप में निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः–	**उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।**

Scanned with OKEN Scanner

11–(5.3) **बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Bachelor of Medical Laboratory Science (BMLS) तथा मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Master of Medical Laboratory Science (MMLS) पाठ्यक्रमों में कोर्स कोड निर्धारण हेतु अनुमोदन प्रदान करने के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावनाः– NCAHP द्वारा निर्गत बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Bachelor of Medical Laboratory Science (BMLS) पाठ्यक्रम तथा मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Master of Medical Laboratory Science (MMLS) पाठ्यक्रम में कोर्स कोड निर्धारित नहीं किये गये हैं, अतः उक्त दोनों पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय स्तर पर कोर्स कोड निर्धारित करते हुए अनुमोदन प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है।

पृष्ठभूमिः– बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Bachelor of Medical Laboratory Science (BMLS) तथा मास्टर ऑफ मेडिकल लैबोरेट्री साइंस/Master of Medical Laboratory Science (MMLS) पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न विषयों के लिए पृथक एवं मानकीकृत कोर्स कोड निर्धारित किया जाना आवश्यक है। कोर्स कोड का उपयोग शैक्षणिक अभिलेखों, परीक्षा संबंधी कार्यों, अंकपत्र, छात्र अभिलेख तथा विश्वविद्यालय के संबंधित ऑनलाइल पोर्टल/डिजिटल प्रणाली में पाठ्यक्रमों की पहचान एवं अभिलेखीकरण हेतु किया जाना अपेक्षित है।

नियम/कृत कार्यवाही/निर्णयः– इस सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों के विभिन्न विषयों हेतु प्रस्तावित कोर्स कोड तैयार कर बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

प्रस्तावः– उक्त पाठ्यक्रमों में कोर्स कोड निर्धारण हेतु विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है–

BMLS COURSE SEMESTER-WISE DETAILS

BMLS First semester

Subject	PAPER CODE
Human Anatomy	BMLS- 101T
Human Anatomy **Practical**	BMLS- 101P
Human Physiology	BMLS- 102T
Human Physiology **Practical**	BMLS- 102P
Basic Emergency care and First aid	BMLS- 103T
Basics of Computer Application	BMLS- 104T
Fundamentals of the Healthcare System and Medical Laboratory Science (MLS) #	BMLS- 105T
Communication and Professionalism#	BMLS- 106T

BMLS Second Semester

Subject	PAPER CODE
Fundamentals of Microbiology	BMLS- 201T
Fundamentals of Microbiology **Practical**	BMLS- 201P
Basics of Biochemistry	BMLS- 202T
Basics of Biochemistry **Practical**	BMLS- 202P
Fundamentals of Haematology	BMLS- 203T
Fundamentals of Haematology **Practical**	BMLS- 203P
Preventive and Social Medicine	BMLS- 204T

BMLS Third Semester

Subject	PAPER CODE
Bacteriology	BMLS- 301T
Bacteriology **Practical**	BMLS- 301P
Intermediary Metabolism & Endocrinology	BMLS- 302T

Intermediary Metabolism & Endocrinology **Practical**	BMLS- 302P
Clinical Haematology	BMLS- 303T
Clinical Haematology**Practical**	BMLS- 303P
Basics of Pharmacology	BMLS- 304T

BMLS Fourth Semester

Subject	**PAPER CODE**
Virology and Immunology	BMLS- 401T
Virology and Immunology **Practical**	BMLS- 401P
Genetics & Molecular Biology	BMLS- 402T
Genetics & Molecular Biology **Practical**	BMLS- 402P
Clinical Pathology	BMLS- 403T
Clinical Pathology **Practical**	BMLS- 403P
Medical Laboratory Management and Quality Control	BMLS- 404T

BMLS Fifth Semester

Subject	**PAPER CODE**
Mycology & Parasitology	BMLS- 501T
Mycology & Parasitology**Practical**	BMLS-501P
Analytical Biochemistry	BMLS- 502T
Analytical Biochemistry **Practical**	BMLS- 502P
Immunohematology and Transfusion Medicine	BMLS- 503T
Immunohematology and Transfusion Medicine **Practical**	BMLS- 503P
Medical Law and Ethics	BMLS- 504T

BMLS Sixth Semester

Subject	**PAPER CODE**
Applied Pathobiology	BMLS- 601T
Applied Pathobiology **Practical**	BMLS- 601P
Cytology and Histopathology	BMLS- 602T
Cytology and Histopathology **Practical**	BMLS- 602P
Clinical Biochemistry	BMLS- 603T
Clinical Biochemistry **Practical**	BMLS- 603P
Biostatics and Research Methodology	BMLS- 604 T

MMLS COURSE SEMESTER-WISE DETAILS

MMLSFirst Semester

Subject	**PAPER CODE**
MEDICAL LABORATORY MANAGEMENT	MMLS -101 T
CELL & MOLECULAR BIOLOGY THEORY	MMLS -102 T

Scanned with OKEN Scanner

RESEARCH METHODOLOGY & BIOSTATISTICS	MMLS -103 T
RESEARCH METHODOLOGY & BIOSTATISTICS **Practical**	MMLS -103 P
Advance Molecular Diagnostic Techniques	MMLS -104 T
Advance Molecular Diagnostic Techniques **Practical**	MMLS -104 P
Digital Health Technology theory	MMLS - 105 T
Elective Course* (Lab Posting)	MMLS -106 P

MMLS Second Semester

Subject	**PAPER CODE**
ESSENTIAL & APPLIED MICROBIOLOGY	MMLS 201 T
SYSTEMIC BACTERIOLOGY	MMLS202T
SYSTEMIC BACTERIOLOGY **Practical**	MMLS202P
MEDICAL ENTAMOLOGY& PARASITOLOGY	MMLS 203 T
MEDICAL ENTAMOLOGY& PARASITOLOGY **Practical**	MMLS 203 P
IMMUNOLOGY& IMMUNODIAGNOSTICS	MMLS 204 T
IMMUNOLOGY& IMMUNODIAGNOSTICS **Practical**	MMLS 204 P

MMLS Third Semester

Subject	**PAPER CODE**
Medical Virology	MMLS - 301 T
Medical Mycology	MMLS - 302 T
Medical Mycology and Virology **Practical**	MMLS-301&2 P
Public Health Microbiology	MMLS - 303 T
Public Health Microbiology **Practical**	MMLS - 304 P
Advances in Microbial Informatics	MMLS - 305 T
Clinical Posting-log book and viva	MMLS - 306 P

MMLS Fourth Semester

Subject	**PAPER CODE**
DISSERTATION/PROJECT	MMLS-401

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।

निर्णयः– **उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया।**

11–(6) विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्तावनाः– अवगत कराना है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 1983/71–2–2019–17/2019, दिनांकः 27–08–2019 के द्वारा प्रदेश के स्वायतशासी चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में चिकित्सा संकाय सदस्यों के रिक्त एवं विज्ञापित पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर सीमित अवधि के लिये नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये

है। उक्त के क्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, एडीशनल प्रोफेसर एवं प्रोफेसर पद विश्वविद्यालय में रिक्त पदो के सापेक्ष संविदा के आधार पर भरे जाने का प्रस्ताव है।

उक्त पदों को 01 वर्ष की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिये चिकित्सा शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव मा0 विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पृष्ठभूमि:– उक्त के सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 1983/71–2–2019–17/2019, दिनांकः 27–08–2019 के द्वारा प्रदेश के स्वायतशासी चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में चिकित्सा संकाय सदस्यों के रिक्त एवं विज्ञापित पदों के सापेक्ष संविदा के आधार पर सीमित अवधि के लिये नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। उक्त शासनादेश में निर्देशित किया गया है कि स्वायतशासी चिकित्सा संस्थानों यथा–संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एवं हॉस्पिटल लखनऊ, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोयडा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोयडा तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों यथा–किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ एवं उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा में संविदा के आधार पर 01 वर्ष की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिये चिकित्सा शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी है।

उपरोक्त के क्रम में चिकित्सा शिक्षकों को नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है।

प्रस्ताव:– उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में संकाय सदस्यों के कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष रिक्त 140 पदों में से 100 पद तथा उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में विज्ञापन के उपरान्त रिक्त 151 पदों में से 75 पद संविदा के आधार पर भरे जायें। इन संख्याओं के लिये निर्धारित क्रमशः 100 और 75 पदों का विभागवार निर्धारण सम्बन्धित कुलपति द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाये तथा विज्ञापन प्रकाशित कराये जाने से पूर्व सम्पूर्ण दोनो विश्वविद्यालयों द्वारा शासन को सूचनार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति पारदर्शी रीति एवं सुसंगत नियमों के अनुसार निम्नांकित नियत मानदेय पर की जायेगी–

क्र0सं0	पदनाम	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त अन्य 06 संस्थान/विश्वविद्यालय
1	2	3
1.	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	1,20,000.00
2.	एसोसियेट प्रोफेसर	1,60,000.00
3.	एडीशनल प्रोफेसर	1,80,000.00
4.	प्रोफेसर	2,20,000.00

उपरोक्त भर्ती में संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया एवं संविदा पर चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की शर्ते एवं प्रतिबन्ध चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 1983/71–2–2019–17/2019, दिनांक 27–08–2019 में उल्लिखित शर्तो के आधार पर की जायेगी।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन :– मा0 विद्या परिषद से अनुरोध है कि चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्याः 1983/71–2–2019–17/2019, दिनांकः 27–08–2019 के क्रम में संविदा के आधार पर 01 वर्ष की अवधि अथवा नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिये चिकित्सा शिक्षकों को संविदा के आधार पर नियत मानदेय पर नियुक्ति प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः–	जी0ओ0 को आधार मानकर विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए ई0सी0 से अनुमोदन प्राप्त कर Contractual/Deputation पर Recruitment करने हेतु शासन को पत्र प्रेषित कर अनुमति प्राप्त करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।
11–(7)	**Transfer and Permanent Absorption of Dr. Himanshu Prince Yadav, Associate Professor - Department of Anesthesiology, into the Department of Emergency Medicine and corresponding transfer of 01 Associate Professor seat from department of Emergency Medicine to Anaesthesia department.**

-	Details
1. PREFACE	**In accordance with the** National Medical Commission (NMC) requirements, Emergency Medicine is an essential clinical specialty and a dedicated Department of Emergency Medicine is required in medical colleges for structured emergency care, teaching and training. **In view of the NMC mandate and the need to strengthen the Department of Emergency Medicine at UPUMS, Saifai,** Dr. Himanshu Prince Yadav, Associate Professor, Department of Anesthesiology, (Annexure-I) has expressed his willingness to contribute his clinical, teaching and academic experience to the Department of Emergency Medicine**, subject to the applicable NMC norms and approval of the competent authority.**
2. BACKGROUND & NMC REGULATORY ALIGNMENT	**Sanctioned Position:** • One post each of Professor and Associate Professor is sanctioned in the Department of Emergency Medicine at UPUMS, as per *Manakikaran/Sanctioned Faculty Position Vide Letter*, - File No. 71-4099/1051/2022-I/280291/2023, Dated 24.02.2023 Page 3, Serial No. 8. **NMC Provision:** • As per the *NMC Medical Institutions (Qualifications of Faculty) Regulations, 2025*, notified vide Gazette Notification No. CG-DL-E-05072025-264399 dated 30.06.2025(Annexure-III), teaching experience in the broad specialty of Anaesthesiology is countable for faculty appointment in Emergency Medicine as prescribed under the Regulations. Dr. Himanshu Prince possesses the prescribed qualifications as MD Anaesthesiology (K.G.M.U., Lucknow), PDCC - Onco-Anaesthesiology (AIIMS Rishikesh).

Scanned with OKEN Scanner

3. MECHANISM	**Primary Action:** • The Associate Professor post in Anaesthesiology against which Dr. Himanshu Prince was appointed shall be transferred to the Department of Emergency Medicine along with Dr. Himanshu Prince, who shall be permanently transferred and absorbed in the Department of Emergency Medicine, with continuity of service, seniority and admissible service benefits as per rules. **Corresponding Action:** • One vacant sanctioned Associate Professor post of Emergency Medicine shall simultaneously be transferred to the Department of Anaesthesiology and filled through the prescribed due process. The existing/vacant position may be verified from the sanctioned faculty position statement (File No. 71-4099/1051/2022-I/280291/2023, Dated 24.02.2023 Page 3, Serial No. 8).
4. RATIONALE	The proposed transfer will utilise the existing faculty strength of the University and strengthen emergency care, clinical services, teaching and academic activities in the Department of Emergency Medicine, without demanding sanction of any new faculty post and overall sanctioned faculty posts will remain same.
5. EXPECTED APPROVAL	Approval required from the Academic Council for permanent transfer and absorption of Dr. Himanshu Prince as Associate Professor, in Department of Emergency Medicine from Department of Anesthesiology with continuity of service, seniority and admissible service benefits as per rules, along with the corresponding transfer of one vacant sanctioned Associate Professor post from Department of Emergency Medicine to Department of Anaesthesiology for filling through due process.

Approval Requested:- The Academic Council may kindly approve.

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान करते हुए ई0सी0 में रखकर अनुमोदन प्राप्त करने तथा उसके उपरान्त शासन को **Exchange** के विषय में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा यदि कोई अन्य संकाय सदस्य इमरजेन्सी मेडिसिन में योगदान/स्थानान्तरण चाहता है तो इस पर भी विचार किया जा सकता है साथ ही **Dr. Himanshu Prince Yadav, Associate Professor** को **Emergency Medicine** के सुचारू रूप से संचालन हेतु **Emergency Medicine** का **Officiating Incharge** बनाये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक विद्या परिषद के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्पन्न हुई।

(डॉ0 आदेश कुमार)
संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय
एवं संयोजक विद्या परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

(डॉ0 अजय सिंह)
कुलपति
एवं अध्यक्ष—विद्या परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

Scanned with OKEN Scanner